भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *16**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

सेवा संबंधी निर्यात को बढ़ाया जाना

***16. श्री बिद्युत बरन महतो :**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस दशक के अंत तक एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए सेवाओं संबंधी निर्यात वृद्धि को तीव्र करने एवं सहायता प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर बल देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपने वाणिज्य-वस्तु निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करने एवं इसका उत्थान करने के लिए तथा क्षेत्र के विकास के लिए टियर-2 एवं टियर-3 नगरों और शहरों में आईटी हब्स आरंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस प्रयोजनार्थ संस्वीकृत एवं जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) ऐसे आईटी हब्स की स्थापना करने हेतु चिन्हित किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्टार्ट अप्स हेतु अनुकूल पारि-प्रणाली का सृजन करने, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के तीव्र विकास में सहायता करने और देश में सेवाओं के निर्यात में योगदान के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

"सेवा निर्यात को बढ़ावा देने" के संबंध में 2 फरवरी 2022 को उत्तर देने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) देश में आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार है:

i. भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019,जो आईसीटी के आधार पर क्षेत्र के विकास के लिए नवाचार, बेहतर व्यावसायीकरण, टिकाऊ बौद्धिक संपदा (आईपी), प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप और विशिष्ट कौशल सेट को बढ़ावा देने से प्रेरित है, की मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य एक मजबूत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि हो और 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया जा सके।

ii. सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (एनपीएसपी 2019) के एक बड़े हिस्से का समाधान करने के लिए नेक्स्ट जेनेरशन इन्क्यूबेशन स्कीम (एनजीआईएस) को मंजूरी दी गई है। निरंतर विकास, नए रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए मजबूत आईटी उद्योग को सहायता करने के लिए एक वाइब्रेंट सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना की गई है।

iii. आईटी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य पहलों में चैंपियन सेक्टर सेवा स्कीम के तहत फ्यूचर स्किल्स प्राइम, नॉर्डिक्स और अफ्रीका क्षेत्र में बाजार विकास पहल, बाजार आउटरीच पहल आदि शामिल हैं।

iv. इसके अलावा, आईटी सेवाओं सहित सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग एक बहु-आयामी रणनीति का पालन करता है जिसमें बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से सार्थक बाजार पहुंच प्राप्त करना शामिल है। इन समझौतों के एक भाग के रूप में सेवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही गतिशीलता के मुद्दों का समाधान करने और निर्यातकों और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए भी केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पण्यवस्तु निर्यात के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों, विदेश स्थित मिशनों और सभी निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) को सूचित कर दिया गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

i. 'निर्यात हब के रूप में जिले' (डीइएच) पहल जिसके तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में प्रत्येक जिले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। डीइपीसी

का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और जिला स्तरों के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार करना और उन पर कार्य करना है।

ii. कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)' कार्यान्वित की जा रही है।

iii. बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है जिसकी परिकल्पना भारत के निर्यात को निरंतर आधार पर बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में की गई है। यह स्कीम बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण द्वारा विशिष्ट बाजार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए केंद्रित उत्पाद-केंद्रित देश दृष्टिकोण पर तैयार की गई है। नए बाजारों तक पहुंच या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड के तहत सहायता भी उपलब्ध है।

v. निर्यात के विकास के लिए उचित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) वित्त वर्ष 2017-18 से चल रही है।

vi. सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीइपी) की शुरुआत की है। यह स्कीम केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क/करों/लेवी की छूट चाहती है, जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च की जाती हैं, लेकिन वर्तमान में किसी अन्य शुल्क रियायत स्कीम के तहत वापस नहीं की जा रही हैं ।

vii. व्यापार को सुकर बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।

viii. ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और विदेशों में भारत के मिशन सक्रिय रूप से भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।

(ग)इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) ने देश भर में 62एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 54 केंद्र टियर II और टियर III शहरों में स्थित हैं।छोटे शहरों और कस्बों (मेट्रो स्थानों को छोड़कर) में आईटी / आईटीईएस उद्योग के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, सरकार ने दो

बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम यथा भारत बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम (आईबीपीएस) और उत्तर पूर्व बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम (एनईबीपीएस) शुरू की थी। इन स्कीमों का उद्देश्य वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रति सीट 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके 53,300 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस संचालन की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इन स्कीमों की शुरुआत से, लगभग 250 इकाइयों ने देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित किया है, जिनसे 47,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इन स्कीमों के तहत, वित्तीय सहायता का संवितरण प्रतिपूर्ति के आधार पर है, जो उद्देश्य यानी इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

(घ) नए एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना की मौजूदा नीति के अनुसार एसटीपीआई द्वारा एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना अपने आंतरिक स्रोतों से की जा रही है, इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत या जारी नहीं की जा रही है। अब तक,आईपीबीएस और एनईबीपीएस स्कीमों के तहत बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों को 80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है।

(ङ) वर्तमान एसटीपीआई केंद्रों की राज्य-वार सूची अनुबंध-I पर दी गई है।

(च) स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा उपयुक्त भागीदारों और हितधारकों (राज्य सरकार, उद्योग/उद्योग संघ, शैक्षणिक समुदाय) के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में कई डोमेन-केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं। ये सीओई अपेक्षित प्रयोगशाला सहायता, वित्त पोषण, परामर्श सेवाएं, आदि प्रदान करने के लिए एकल-खिड़की फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा, आईटी उद्योग को तेजी से बढ़ने और देश की सेवाओं के निर्यात में योगदान करने में सहायता करने के लिए: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) स्कीम-100% निर्यात-उन्मुख स्कीम, एसटीपीआई द्वारा लागू की जा रही है ताकि पेशेवर सेवाओं के निर्यात सहित संचार लिंक या वास्तविक मीडिया का उपयोग करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास और निर्यात किया जा सके।

प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप-नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की अन्य प्रमुख पहलें हैं:

- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीइ 2.0) स्कीम
- एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब (एमएसएच)
- कोविड पश्चात् प्रौद्योगिकी अवसरों (ससक्त) के संदर्भ में स्टार्टअप को गति देने की स्कीम
- स्टार्ट-अप एक्सेलरेटर कार्यक्रम
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और डिजाइन विनिर्माण उद्यमी पार्क
- एसएमई के लिए ई एवं आईटी (एसआईपी-ईआईटी) स्कीम में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए सहायता

अनुबंध-I: वर्तमान एसटीपीआई केंद्रों की सूची:

क्र.सं.	राज्य	केंद्र का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		विशाखापत्तनम
5.	असम	गुवाहाटी
6.	बिहार	पटना
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई
8.	गुजरात	गांधीनगर
9.		सूरत
10.	हरियाणा	गुडगाँव
11.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
13.		श्रीनगर
14.	झारखंड	रांची
15.		देवघर
16.	कर्नाटक	बेंगलुरु
17.		हुबली
18.		मंगलौर
19.		मणिपाल
20.		मैसूर
21.	केरल	तिरुवनंतपुरम
22.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
23.		भोपाल
24.		इंदौर
25.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
26.		कोल्हापुर
27.		नागपुर
28.		नासिक
29.		मुंबई
30.		पुणे
31.	मणिपुर	इंफाल

क्र.सं.	राज्य	केंद्र का नाम
32.	मेघालय	शिलांग
33.	मिजोरम	आइजोल
34.	नागालैंड	कोहिमा
35.	उड़ीसा	बेरहामपुर
36.		भुवनेश्वर
37.		राउरकेला
38.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
39.	पंजाब	मोहाली
40.	राजस्थान	जयपुर
41.		जोधपुर
42.	सिक्किम	गंगटोक
43.	तमिलनाडु	चेन्नई
44.		कोयंबटूर
45.		मदुरै
46.		तिरुनेलवेली
47.		त्रिची
48.	तेलंगाना	हैदराबाद
49.		वारंगल
50.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
51.		कानपुर
52.		लखनऊ
53.		मेरठ
54.		नोएडा
55.	उत्तराखंड	देहरादून
56.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
57.		हल्दिया
58.		खड़गपुर
59.		कोलकाता
60.		सिलीगुडी
61.	त्रिपुरा	अगरतला
62.	गोवा	गोवा

****